बिहार विधान-सभा सचिवालय

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

दिनांक-12.07.2017 एवं 25.07.2017 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक भाष्कर में प्रकाशित सार्वजनिक नीलामी की सूचना के क्रम में सूचित किया जाता है कि बिहार विधान सभा सचिवालय में वर्षों से पड़े अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक-17.11.2017 को 1.00 बजे अप० में बिहार विधान सभा मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित वाचनालय कक्ष में होगी । नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों की विस्तृत सूची एवं इससे संबंधित शर्त्तें बिहार विधान सभा के बेवसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखी जा सकती है ।

नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों का आधार मूल्य 4,75,000/-(चार लाख पचहत्तर हजार रूपये) होगा । नीलाम में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों/एजेंसियों को 20,000/-(बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद राशि का प्राप्ति रसीद अग्रधन के रूप में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में दिनांक-17.11.2017 को 11.00 बजे पूर्वा० तक जमा करना होगा । बैंक ड्राफ्ट डी.डी.ओ., बिहार विधान सभा के पदनाम से पटना में भुगतेय होगा तथा नगद राशि की स्थिति में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कार्यालय में राशि जमा कराकर उसकी प्राप्ति रसीद की मूल प्रति सचिव के कार्यालय में जमा करना होगा । अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को अनपुयोगी वस्तुओं/कागजातों की नीलामी दी जायेगी । नीलामी में सफल व्यक्ति/एजेंसी को अधिकतम डाक मूल्य का 25% अथवा बोली की कुल राशि उसी दिन सभा सचिवालय में जमा करना होगा । नीलामी के संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा के अवधायक शाखा से दूरभाष संख्या-0612-2217240 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है तथा अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों को भौतिक रूप से भी अवलोकन किया जा सकता है ।

अन्य शर्त्तें:-

1. नीलामी के पश्चात् दिनांक-26.11.2017 तक नीलाम की जाने वाली सभी वस्तुओं/कागजातों को बिहार विधान सभा परिसर से उठाव कर लेना पड़ेगा ।
2. अधिकतम डाक मूल्य बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी डाक मूल्य का 25% अथवा बोली की कुल राशि सभा सचिवालय में जमा नहीं करते हैं अथवा समय सीमा के अंदर शेष 75% राशि जमा कर नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों का उठाव नहीं करते हैं तब वैसी स्थिति में दूसरे उच्चतर डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को नीलामी का कार्य दे दिया जायेगा ।
3. सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारी डाक में भाग नहीं लेंगे ।
4. बिना कारण बताये इस नीलामी को रद्द करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को होगा ।

09.11.17

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।